कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमाक शिविरा/मा/सस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानातरण/2019 दिनाक–29.09.2019 के तहत् श्री अमरजीत सिह व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि श्रीकरणपुर (श्रीगगानगर) का स्थानातरण राउमावि जागसा (बाडमेर) किया गया। श्री अमरजीत सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एस.बी.सी. याचिका सख्या 15106/2019 श्री अमरजीत सिंह बनाम राज.सरकार एव अन्य दायर की गई।

याचिका सख्या 15106/2019 मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री अमरजीत सिह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति मे इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा मे निस्तारित किये जाने सबधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम मे याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वय का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत होने के आधार पर अपना पदस्थापन श्रीगगानगर मे कही भी करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य मे परीक्षण कर उनकी माग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशो दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों मे पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्याग, कैसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागना से प्राप्त परिवेदनाओ को ही प्राथमिकता की श्रेणी मे रखा गया हैं। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नही आता। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणो से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी नवीन स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 16.10.19 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई माग नियमानुकूल नही होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/अमरजीत सिंह/को.के/18–19/06 दिनांकः– 05.11.19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. सबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाडमेर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबधित प्राधानाचार्य राउमावि. श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)/राउमावि जागसा (बाडमेर)।
9. कार्मिक अमरजीत सिंह, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान), राउमावि जागसा (बाड़मेर)।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court